न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

नाथूलाल [illegible] बनाम [illegible] माली

धारा 111-128 किस्म [illegible]

प्र०सं० 33/2017

14-2-17

बाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 27-3-17 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

27.3.17 पत्रावली पेश [illegible]
उपस्थित [illegible] अधिकार जी
अधिवक्ता 4[illegible] । पत्रावली
दिनांक 17.5.17 पेश हो।

आदेश रो सीहर

17.5.17 पुकार करने पर वादी उपस्थित / ~~प्रतिवादी अधिवक्ता~~ प्रतिवादी सं० 1 से 6 को तीन बार आवाज लगाई गई। अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। वादी अधिवक्ता ~~[illegible]~~ साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं साक्ष्य बंद की जाती है, वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली में निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो बास्ते नम्बर अंकन हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 33/2017

1. श्री नाथुलाल आत्मज स्व0 श्री कजोड माली उम्र वयस्क निवासी मालियो का मोहल्ल पुर तहसील व जिला भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

1. श्री भैरुलाल आत्मज स्व0 श्री माधुलाल माली, उम्र वयस्क, निवासी विश्नोई की बावडी के पास, गणेशजी के मन्दिर के सामने, न्यू माली मौहल्ला पुर, तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्री बंशीलाल आत्मज स्व0 श्री नन्दलाल माली, निवासी छीपों की पंचायत नोहरे के पास पुर, तहसील व जिला भीलवाडा
3. श्री प्रेमलाल आत्मज स्व0 श्री नन्दलाल माली, निवासी छीपों की पंचायत नोहरे के पास पुर, तहसील व जिला भीलवाडा
4. श्री श्रवण आत्मज स्व0 श्री नन्दलाल माली, निवासी छीपों की पंचायत नोहरे के पास पुर, तहसील व जिला भीलवाडा
5. श्री नन्दलाल आत्मज स्व0 श्री रामलाल माली, निवासी मालियों के मन्दिर के पास वार्ड नम्बर 03 पुर, तहसील व जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। ——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू.—राज.अधि., 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 17.04.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू.—राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 10.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार क्षेत्र पुर, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 6757 रकबा 03—15 बिस्वा, कुल किता 01 कुल रकबा 03—15 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षीगण उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम पुर मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आराजी संख्या 6757 रकबा 03–15 बिस्वा, कुल किता 01 कुल रकबा 03–15 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 400/– अक्षरे चार सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 17.04.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा